न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी – दीप्ति शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या–62/2019
जीसीएमएस संख्या– 2019/00164
अपीलार्थीगण:–

01. स्वर्गीय अचलाराम पुत्र स्व. श्री रामसुख परिहार पौत्र स्व. अणदाराम परिहार के कायम मुकाम:–

1/1 अशोक परिहार पुत्र स्व. श्री अचलाराम परिहार, उम्र 43 वर्ष, निवासी– अणदाराम शिक्षण संस्थान के पास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

1/2 विक्रम परिहार पुत्र स्व. श्री अचलाराम परिहार, उम्र 39 वर्ष, निवासी प्रधान जी की गली, तहसील सियाना, जिला बाड़मेर।

1/3 सरोज गहलोत पुत्री स्व. श्री अचलाराम परिहार पत्नी श्री महेन्द्र सिंह गहलोत, उम्र–46 वर्ष, निवासी गहलोतो का बास, दुसरी पोल से पहले, गहामन्दिर, जोधपुर।

02 अशोक परिहार पुत्र स्व. श्री अवलाराम परिहार, उम्र 40 वर्ष, सभी जाति–माली, निवासी– अणदाराम शिक्षण संस्थान के पास चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थीगण:–

01. श्रीगान तहसीलदार जोधपुर
02. आईदान पुत्र स्व. श्री हरजी पौत्र स्व. नवलाराम परिहार
03. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री हरजी पौत्र स्व. नवलाराम परिहार
04. देवी पत्नी जेवूसिंह पुत्री स्व. श्री हरजी पौत्री स्व. नवलाराम परिहार
05. स्व. मानादेवी पत्नी मूल जी पुत्री स्व. श्री हरजी पौत्री स्व. नवलाराम परिहार के कायम मुकाम:–

5/1 नारायण पुत्र स्व. माना देवी
5/2 जेठाराम पुत्र स्व. माना देवी
5/3 ओम प्रकाश पुत्र स्व. माना देवी
5/4 अशोक पुत्र स्व. माना देवी
5/5 पप्पाराम पुत्र स्व. माना देवी
5/6 गीता पुत्री स्व. माना देवी
5/7 बेबी पुत्री स्व. माना देवी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5/8 लक्ष्मी पुत्री स्व. माना देवी

5/9 चंगा पुत्री स्व. माना देवी

सभी जातियान माली निवासी– C/o जेताराम पुत्र मूल जी देवड़ा, श्रीराम कॉलोनी, ओसियां चौराहा, तिंवरी जोधपुर।

06. स्व. पुखराज पुत्र स्व. श्री भवरलाल पौत्र स्व. श्री हरजी पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार के कायम मुकामः–

6/1 चुकी देवी पत्नी स्व. पुखराज

6/2 फुलदीप पुत्र स्व. पुखराज

6/3 विनोद पुत्र स्व. पुखराज

6/4 ललिता पुत्री स्व. पुखराज

6/5 सुनीता पुत्री स्व. पुखराज

6/6 पिंकी पुत्री स्व. पुखराज

6/7 विमला पुत्री स्व. पुखराज

6/8 कविता पुत्री स्व. पुखराज

सभी जातियान गाली, निवासी टेक्नो इण्डिया लोको रोड़, रातानाडा, जोधपुर।

07. त्रिलोक पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र स्व. श्री हरजी पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार

08. प्रेम पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र स्व. श्री हरजी पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार

09. नरपत पुत्र स्व. भंवरलाल पौत्र स्व. श्री हरजी पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार

10. फुली देवी पत्नी ओम जी पुत्री स्व. भंवरलाल पौत्री स्व. श्री हरजी पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार

11. स्व. कमला देवी पत्नी देवाराम सोलंकी पुत्री स्व. भवरलाल पौत्री स्व. हरजी पडपौत्री स्व. नवलाराम के कायम मुकामः–

11/1 देवाराम पति स्व. कमला देवी

11/2 रमेश पुत्र स्व. कमला देवी

11/3 महेन्द्र पुत्र स्व. कमला देवी

11/4 किरण पुत्री स्व. कमला देवी

11/5 पार्वती पुत्री स्व. कमला देवी

11/6 प्रिया पुत्री स्व. कमला देवी

सभी जातियान माली, निवासी– C/o रमेश पुत्र देयाराम सोलंकी, सरकारी स्कूल के पीछे, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

12. इन्दुदेवी पत्नी ओम जी पुत्री स्व. भंवरलाल पौत्री स्व. श्री हरजी पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार सभी जातियान माली, निवासी टेवनो इन्डिया लोको रोड, रातानाडा, जोधपुर।

13. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. मांगीलाल पौत्र स्व. भभुताराम पड़पौत्र नवलाराम परिहार

14. दौलतराम पुत्र स्व. मांगीलाल पौत्र स्व. भभुताराम पड़पौत्र नवलाराम परिहार

15. प्रेमसिंह पुत्र स्व. मांगीलाल पौत्र स्व. भभुताराम पड़पौत्र नवलाराम परिहार सभी जातियान माली, निवासी परिहार सब्जी मण्डार, कालुराम कि बावडी सुरसागर, जोधपुर।

16. स्व. गवरी बाई पत्नी सालुराम गहलोत पुत्री स्व. नवलाराम परिहार के कायम मुकाम:–

16/1 तीजा देवी पुत्री स्व. गवरी बाई पत्नी कलाराम जी सांखला,जाति माली, निवासी– सालावास रेल्वे स्टेशन के पास, मालियो का बास, सालावास, जोधपुर।

16/2 स्व. शान्ती पुत्री स्व. श्री गवरी बाई के कायम मुकाम

16/2/1 भवंरी पुत्री स्व. शान्ती बाई

16/2/2 माणक पुत्री स्व. शान्ती बाई

सभी जातियान माली, निवासी भवरी पत्नी लक्ष्मण सिंह गहलोत, सरकारी स्कूल के पास, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।

16/3 स्व. शंकरलाल पुत्र स्व. गवरी बाई के कायम मुकाम–

16/3/1 ओम् प्रकाश पुत्र स्व. शंकरलाल

16/3/2 बाबुलाल पुत्र स्व. शंकरलाल

16/3/3 दिलीप पुत्र स्व. शंकरलाल

16/3/4 महेन्द्र पुत्र स्व. शंकरलाल

16/3/5 बेबी पुत्री स्व. शंकरलाल

सभी जातियान माली, निवासी– C/o दिलीप गहलोत पुत्र स्व. शंकरलाल, मालियो का मौहल्ला, श्रमिकपुरा, मसुरिया, जोधपुर।

17. जुगराज पुत्र स्व. अणदाराम पौत्र स्व. नयलाराम परिहार जाति माली, निवासी आनन्द भवन, अणदाराम शिक्षण संस्था के सामने चौपासंनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

18. बाबुलाल पुत्र स्व. अणदाराम पौत्र स्व नवलाराम परिहार जाति माली, निवासी खेमे का कुंआ पाल रोड, जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

19. नुन्नालाल पुत्र स्व. अणदाराम पौत्र स्व नवलाराम परिहार जाति माली, निवासी परिहार कृषि फार्म, अणदाराम शिक्षण संस्था के सामने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

20. स्व. पुन्नी बाई पत्नी स्व. बाबुलाल पुत्री स्व. श्री अणदाराम परिहार पौत्री स्व. नवलाराम परिहार के कायम मुकामः—

20/1 चैन सिंह गहलोत पुत्र स्व. श्री पुन्नी बाई, जाति माली, निवासी— शंकर नगर, अणदाराम शिक्षण संस्थान के सामने, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

21. स्व. शान्ती बाई पत्नी कन्हैयालाल गहलोत पुत्री स्व. श्री अणदाराम परिहार पौत्री स्व. नवलाराम परिहार के कायम मुकामः—

21/1 लालाराम पुत्र स्व. शान्ती बाई

21/2 रमेश पुत्र स्व. शान्ती बाई

21/3 रानी पुत्री स्व. शान्ती बाई

21/4 स्व. मिठूलाल पुत्र स्व. शान्ती बाई के कायम मुकामः—

21/4/1 गीता पत्नी स्व. श्री मिठूलाल

21/4/2 अर्जुन पुत्र स्व. मिठूलाल

21/4/3 चंचल पुत्री स्व. मिठूलाल

21/4/4 वनीताः पुत्री स्व. मिठूलाल

सभी जातियान माली, निवासी— लालाराम पुत्र स्व. कन्हैयालाल गहलोत, मैसर्स वीर बालाजी स्टील फर्निचर, नयापुरा, चौखा, जोधपुर।

21/5 स्व. राजू पुत्र स्व. शान्ती बाई के कायम मुकामः—

21/5/1 सुमन पत्नी स्व. राजु

21/5/2 गणेश पुत्र स्व. राजु

21/5/3 हिमांशु पुत्र स्व. राजु

21/5/4 भावना पुत्री स्व. राजु

सभी जातियान माली, निवासी C/o स्व. राजु पुत्र स्व. कन्हैयालाल गहलोत, निवासी 9वी चौपासनी रोड़, मण्डप रेस्टोरेंट के पास, जोधपुर।

22. मुकेश पुत्र स्व. कालुराम पौत्र स्व. अणदाराम पड़पौत्र स्व. नथलाराम परिहार,

23. दिपक पुत्र स्व. कालुराम पौत्र स्व. अणदाराम पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार,

24. गिरिश पुत्र स्व. कालुराम पौत्र स्व. अणदाराम पड़पौत्र स्व. नथलाराम परिहार,

सभी जातियान माली, निवासीयान— साईधाम मन्दिर के पास, शंकर नगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

25. सुनील पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह पौत्र स्व. अणदाराम पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार,
जाति माली, निवासी– प्लोट संख्या 288, यु.आई.टी कॉलोनी, मसुरिया, जोधपुर।

26. सुनिता पत्नी राजेन्द्र पुत्री स्व, लक्ष्मण सिंह पौत्री स्व. अणदाराम पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– थलियो का बास, सोजती गेट नई सड़क, जोधपुर।

27. गीतू पत्नी रविन्द्र पुत्री स्व. लक्ष्मण सिंह पौत्री स्व. अणदाराम पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– जालोरियो का बास, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर।

28. पुष्पा पत्नी पृथ्वीसिंह पुत्री स्व. श्री रामसुख पौत्री स्व. अणदाराम पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– भवाला घेरा, मण्डोर, जोधपुर।

29. उषा पत्नी विजयसिंह पुत्री स्व. रामसुख पौत्री स्व. अणदाराम, पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– गली नम्बर–4, नयापुरा मण्डोर, जोधपुर।

30. स्व. संतोष पत्नी कानसिंह के कायम मुकाम:–
30/1 कान सिंह पति स्व. संतोष गहलोत,
30/2 प्रेम सिंह पुत्र श्री कानसिंह गहलोत,
30/3 सुरेश पुत्र श्री कानसिंह गहलोत,
30/4 रेखा पुत्री श्री कानसिंह गहलोत,
सभी जातियान– ईमामुल मिशन स्कूल की गली में, नयापुरा मण्डोर, जोधपुर।

31. कान्ता पत्नी स्व. हुकमसिंह पुत्री स्व. रागसुख पौत्री स्व. अणदाराम पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– खरबुजा बावडी, रागद्वारा के पास, चांदपोल, जोधपुर।

32. भावना पत्नी ज्ञान जी पुत्री स्व. रामसुख पौत्री स्व. अणदाराम पड़पौत्री स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– गोपी बेरा, मण्डोर, जोधपुर।

33. विनोद पुत्र स्व. रामसुख पौत्र स्व. अणदाराम पड़पौत्र स्व. नवलाराम परिहार, जाति माली, निवासी– अणदाराम शिक्षण संस्था के सामने, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

34. नन्दकिशोर पुत्र स्व. मगराज पौत्र स्व. रामसुख पड़पौत्र स्व. अणादाम परिहार,

35. राजा पुत्र स्व. मगराज पौत्र स्व. रामसुख पड़पौत्र स्व. अणादाम परिहार.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

36. ललिता पत्नी ओम प्रकाश पुत्री स्व. मगराज पौत्री स्व. रागसुख पड़पौत्री स्व. अणदाराम परिहार,

सभी जातियान माली, निवासीयान– अणदाराम शिक्षण संस्था के सामने, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री तेजमल रांका, चन्द्रप्रकाश सोनी व डॉ. सुनिल कुमार (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी (रिस्पोडेन्ट संख्या 2,3,13,14,15)
3. अधिवक्ता श्री कृपाराम सोलंकी (रिस्पोडेन्ट संख्या 5/2 से 5/9)
4. अधिवक्ता श्री कमल सिंह (रिस्पोडेन्ट संख्या 7 एवं 8)
5. अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गहलोत (रिस्पोडेन्ट संख्या 18)
6. अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे व नवीन शर्मा (रिस्पोडेन्ट संख्या 19)
7. अधिवक्ता श्री ललित व्यास (रिस्पोडेन्ट संख्या 20/01)
8. अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी (रिस्पोडेन्ट संख्या 25)
9. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (रिस्पोडेन्ट संख्या 29,30)

आदेश दिनांक 08.07.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 88 जो कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.01.1985 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 87 व 96 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा 37 बीघा कुल 40 बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। अपीलार्थीगण के पूर्वज नवलाराम का नाम खतौनी बंदोबस्त 2011 में दर्ज है। दिनांक 03.01.1985 को नवलाराम की फौत होने से एक मात्र जाईन्दा हकदार अणदाराम के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। नवलाराम के 4 जाईदा संतान 3 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। वर्ष 2011 में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से वादग्रस्त भूमि की राजस्व विधिक जांच हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा आलौच्य नामांतरकरण संख्या 88 गलत दायर होना अपीलार्थी को बताया तथा सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने का कथन किया गया। जिस आधार पर पक्षकारान् के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अन्य प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किये

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने हक अधिकार घोषित करवाने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दिवानी एवंम फौजदारी कार्यवाहियाँ प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को नवलाराम के अन्य वारिसों के वंशावली तथा अन्य वारिसान द्वारा फौजदारी प्रकरण में गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने की जानकारी होने पर वर्ष 2019 में यह अपील प्रस्तुत की है। आलौच्य नामांतकरण वारिसान की विधिवत जांच किये बिना अवैध व विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो शुरू से शून्य है। आलौच्य नामांतरकरण विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित कर उत्तराधिकार के अधिकारों का हनन् किया गया है। वर्ष 2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने पर तत्पश्चात् वर्ष 2017 में अपीलार्थी के पिता रामसुख का निधन होने तथा सन 2019 में नवलारामजी के वारिसान की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई। अंत में अपीलार्थी द्वारा आलौच्य नामांतरकरण निरस्त कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि का फौतेदगी नामांतरकरण सुस्थापित सिद्धांतो के विरूद्ध पारित किया गया है जो शुरू से शुन्य है। वर्ष 2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार व वर्ष 2017 में अपीलार्थी के पिता का देहांत होने पर एवम् वर्ष 2019 में स्व. नवलारामजी की वंशावली प्राप्त होने पर बिना विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। माननीय राजस्व मंडल एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांत के जरिये तकनीकी बिन्दू के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किये जाने एवं किसी कार्यवाही को निरस्त नहीं करने के निर्देश भी जारी किये जा चुके है। अंत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर म्याद शुमार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रत्यर्थी सख्या 19 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवम् धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का लिखित रूप से प्रत्यतुर भी प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण को मौजूदा अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। विधिनुसार किसी भी आदेश अथवा निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का केवल मात्र उस व्यक्ति को अधिकार होता है जिसे अपीलाधीन आदेश से किसी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकार की कोई क्षति अथवा नुकसान हो अथवा अपीलार्थी के हितो के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई प्रभाव रखता हो। जब कि आलौच्य नामांतरकरण अपीलार्थीगण के हित किसी भी प्रकार से विपरित रूप से प्रभावित नहीं करते है। वास्तव में अपीलार्थी स्व. श्री अणदाराम का वारिस होने के आधार पर अपना हक अधिकार क्लेम कर रहा है जब कि आलौच्य नामांतरकरण विधिवत रूप से अणदाराम के हक में ही पारित किया गया था जिससे यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण के किसी भी प्रकार के कोई हक अधिकारो का हनन आलौच्य नामांतरकरण से नहीं हुआ है। संपूर्ण प्रार्थना पत्र में आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी होने का तथ्य उल्लेखित ही नहीं किया गया है। विधिनुसार नामांतरकरण जारी होने की तिथी अथवा उसकी जानकारी होने से विधि द्वारा विहित समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करना एक बाध्यकारी प्रावधान है किंतु अपीलार्थी द्वारा न तो नामांतरकरण की तिथी से समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है ना ही जानकारी के तथ्य का उल्लेख किया है। अपीलार्थी संख्या 01 के पिता रामसुख द्वारा समस्त तथ्यों को सन्निवेशित करते हुए 30 मई 1990 को स्वयं को वाद कारण उत्पन्न होने का कथन करते हुए घोषणात्मक वाद भी वादग्रस्त भूमियों बाबत् प्रस्तुत किया गया था जो राजस्व मूल वाद संख्या 35/91 बअनवान् रामसुख वगैराह बनाम अणदाराम वगैराह दिनांक 12.08.1991 को सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण भी किया जा चुका हैं ऐसी स्थिति में नामांतरकरण जैसी फिस्कल कार्यवाही में न तो अधिकारो का निस्तारण किया जा सकता है एवम् न ही उक्त निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा समान अधिकारो की मांग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2013 को निरस्त किया जा चुका है। जिससे भी सिद्ध है कि अपीलार्थी को नामांतरकरण की शुरू से जानकारी रही है। अपीलार्थी संख्या 01 के पिता रामसुख द्वारा स्वयं एवं अपने पुत्रगण की और से एक आपसी इकरारनामा भी अणदारामजी के हक में दिनांक 02.07.2001 को निष्पादित कर वादग्रस्त भूमि में स्वयं का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होना स्वीकार किया जा चुका है। जिस पर उपलब्ध पक्षकारान् के हस्ताक्षर भी हैं। दिनांक 22.07.1991 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना से भी यह सिद्ध है कि आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। स्वयं अचलाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् अणदारामजी द्वारा जुगराज व बाबुलाल के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हक में निष्पादित वसीयतनामे को दिवानी न्यायालय में वाद के जरिये चुनोती दी गई। जिसके अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्तारित करते हुए दिवानी न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया हक अधिकार नहीं होना निर्णय किया जा चुका है। अपीलार्थी अचलाराम द्वारा अपने पिता रामसुख से पैतृक जायदाद पेटे रोकड़ राशि प्राप्त कर रामसुखजी की जायदाद में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होना भी स्वीकार करते हुए रसीद भी निष्पादित कर दी गई। अणदाराम द्वारा आलौच्य नामांतरकरण के जरिये स्वयं को प्राप्त अधिकारो के तहत वादग्रस्त भूमि का विक्रय भी किया गया जिनमें से एक विक्रय विलेख सुधा पुत्री श्री एल0आर0 चौहान को किया गया। जिसके द्वारा कालूराम पुत्र अणदाराम के हक मे एक आम मुखत्यारनामा भी निष्पादित किया गया। कालूराम द्वारा सुधा के मुख्त्यार की हैसियत से अपीलार्थी संख्या 01 को उसकी पत्नि श्रीमती सरस्वती के नाम से उक्त भूखण्ड का विक्रय किया गया। जिस संव्यवहार तथा आलौच्य नामांतरकरण को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड खरीद किया गया। सुधा चौहान के हक अधिकारों को अपीलार्थी संख्या 02 द्वारा भी अपनी सूचना दिनांक 30.05.2008 के जरिये स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में यह स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 03.05.1985 से रही है। जिस कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाधित होने के कारण निरस्त योग्य है। वारिसान की जानकारी होने के आधार पर अपीलार्थी को म्याद बाधित रूप से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। अपीलार्थी द्वारा वारिसान की जानकारी की तारीख अथवा स्त्रौत के संबध में भी न तो किसी प्रकार का कोई कथन किया गया है एवम् न ही विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु न्यायोचित कारण उल्लेखित किये गये है। जहा वादग्रस्त भूमि बाबत् घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है जो निर्णय अंतिम हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं रह जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाधित है जिस विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये गये है जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में अपीलार्थी पक्ष की ओर से आदेश 12 नियम 06 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा संख्या 87 व 96 की कुल रकबा 40 बीघा 10

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बिस्वा कृषि भूमि अपीलार्थी की पैतृक कृषि भूमि है तथा अपीलार्थी के पूर्वज स्व. नवलाराम पुत्र स्व. नानकरामजी के नाम खतौनी बंदोबस्ती संवत् 2011 में दर्ज है। श्रीमान न्यायालय के द्वारा विधिक प्रकिया के तहत गिरदावरी तलबी हेतु तहसीलदार जोधपुर को पत्र प्रेषित किया गया जिसके जवाब में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पत्र प्रेषित कर सूचित किया कि पटवारी हल्का ग्राम बौखा तहसील जोधपुर द्वारा तहसीलदार जोधपुर के आदेश की पालना में स्व. नवलाराम पुत्र स्व. नानकराम के जायन्दा हकदार वारिसान की जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 08.12.2020 को तहसीलदार जोधपुर को दी गयी। जिसमें स्व. नवला राम पुत्र स्व. नानकराम की कुल जायन्दा संताने 4 है, जिनमें तीन पुत्र एवं एक पुत्री होना पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी ने प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए आलौच्य नामांतरकरण को शून्य घोषित करते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 2,3,13,14,15 एवं 5/2 से 5/9 ने भी जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 के अनुसार तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्व.नवलाराम की वारिसान की जांच अनुसार जायन्दा संताने 4 होने का तथ्य स्वीकार करने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 06.04.2022 को लिखित बहस एवं दिनांक 06.03.2024 को पूरक लिखित बहस एवं दिनांक 12.06.2024 को अनुपूरक लिखित बहस पेश कर अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के तहत प्रत्यर्थीगण 2,3,13,14,15 एवं 5/2 से 5/9 के द्वारा स्वीकृत तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की प्रार्थना की। प्रत्यर्थी संख्या 2,3,13,14,15, 5/2 से 5/9, 7 व 8 ने भी लिखित बहस पेश कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत करते हुए पूर्व में निवेदन किया गया था कि जहां कोई अपील अथवा अन्य कार्यवाही विधि द्वारा विहित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है वहा विपक्षी के हक में एक विशेष अधिकारो का सृजन हो जाता है एवम् न्यायालय को ऐसी अपील या कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार भी नहीं रह जाता है। जिस

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कारण मूल प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत सुनवाई कर सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करते हुए यदि न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है तो ही गुणावगुण पर सुनवाई की जावें। प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पूर्व में स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुन कर आदेश पारित किये जाने बाबत् आदेशित किया जा चुका हैं। जिसकी पालना में धारा 5 म्याद अधिनियम के सम्बन्ध में उपस्थित पक्षकारान् की दिनांक 12.06.2024 को बहस सुनी गई।

अधिवक्ता/अपीलार्थी श्री अशोक परिहार द्वारा अपने मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण द्वारा मौजूदा अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में प्रदान किये गये दिशा निर्देश के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी हैं। स्व. श्री नवलारामजी के वारिसान की वर्ष 2019 में सर्वप्रथम अपीलार्थीगण को जानकारी हुई। जिस कारण वारिसान की जानकारी होने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्य आधार उठाते हुए कथन किया गया है कि स्वयं तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के अभिकथनों को स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 सी0पी0सी0 के परीप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए स्वीकार फरमाई जावें एवं आलौच्य नामांतरकरण निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 19 श्री अक्षय कुमार दवे ने मौखिक बहस में बतलाया कि आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 19 को हैरान व परेशान करने की नियत से बदनियती पूर्वक मौजूदा अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थीगण आलौच्य नामांतरकरण से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है जिस कारण अपीलार्थीगण को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। आलौच्य नामांतरकरण किसी भी रूप में अपीलार्थी के हक अधिकारो को विपरित रूप से प्रभावित नहीं कर रहे है। अपीलार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत घोषणात्मक वाद से भी यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण को शुरू से ही आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी रही है। इसी प्रकार मूल अपील में वर्णितअनुसार भी अपीलार्थीगण को वर्ष 2013 में ही आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी हो चुकी थी। इसके

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या 01 के पिता द्वारा अणदारामजी के हक मे दिनांक 02.07.2001 को निष्पादित इकरारनामें से भी यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण को शुरू से ही आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी रही है। इसी प्रकार 22.7.1991 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना से भी यह सिद्ध है कि आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से जानकारी है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा वसीयतनामें के निररतीकरण हेतु प्रस्तुत वाद एवम् अचलाराम द्वारा अपने पिता के हक में निष्पादित रसीद से भी आलौच्य नामांतरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को शुरू से ही होना सिद्ध है। विशेषत: यह स्वीकृत तथ्य है कि अणदाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने आम मुख्त्यार मुन्नालाल के जरिये विभिन्न व्यक्तियों को विकय किया जा चुका है एवम् भूमि का संपरिवर्तन आदेश भी पारित किया जा चुका है जिसमें से अनेक केतागण द्वारा पट्टे भी प्राप्त किये जा चुके है। अणदाराम की केता श्रीमती सुधा के भूखण्ड की अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी पत्नि सरस्वती के नाम से खरीद भी यह सिद्ध करती है आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा संपूर्ण प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई सद्भाविक अथवा संतोषप्रद कारण भी कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई पोषणीय नहीं रह जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा अपने मौखिक बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत 2014 (3) सी.सी.सी. 470 सर्वोच्च न्यायालय, 2010 आर.आर.डी. 207, 2000 (1) आर.एल.डब्ल्यू 256, 2000 आर.आर.डी. 547, ए.आई.आर. 1971 सुप्रीम कोर्ट 385, 2001 (2) आर.आर.टी. 1105, 2004 (1) सी.सी.सी. 369, 2000(1) सी.सी.सी. 70, 2010 (4) सी.सी.सी. 551 सर्वोच्च न्यायालय, 2000 (2) आर.एल. डब्ल्यू 781, 2009 (2) सी.सी.सी. 440 सर्वोच्च न्यायालय, 2004 (1) आर.आर.टी. 576, 2002 (2) आर.आर.टी. 1228, 2004 (2) आर.आर.टी. 1195, 2004 (2) आर.आर.टी. 1219, 2010 (4) सी.डी.आर. 2453 डी.बी. राजस्थान प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत तर्को के संबध में सुसंगत विधि एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का निरतारण करना उचित समझते है। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मीमो ऑफ अपील के अवलोकन मात्र से ही यह सिद्ध है कि आलौच्य नामांतरकरण संख्या 88 किसी भी प्रकार से अपीलार्थीगण के हक अधिकारों का विपरित रूप से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रभावित नहीं करते है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होना भी प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के कहे अनुसार वर्ष 2011 में उपखंड अधिकारी के समक्ष राजस्व विधिक जांच हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिससे भी यह सिद्ध है कि अपीलार्थी को नामांतरकरण संख्या 88 की उक्त वक्त भी जानकारी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करने का आदेश भी पारित किया जा चुका है एवम् अपीलार्थी द्वारा अनेक न्यायालयों में दिवानी एवम् फौजदारी कार्यवाहिया प्रस्तुत की गयी है। जिससे भी यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण को आलौच्य नामांतरकरण की शुरू से जानकारी रही है। इस संबध में प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात से भी यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि अपीलार्थी संख्या 01 के पिता रामसुख द्वारा स्वयं के अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद भी वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया था जो वाद 12.08.1991 को निरस्त किया गया। जिससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को आलौच्य नामांतरकरण की शुरू से ही जानकारी रही हैं इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अभिवचनों एवम् उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह सिद्ध है कि अपीलार्थीगण को आलौच्य नामांतरकरण की शुरू से जानकारी रही है। विधिनुसार चुनौती के अधीन आदेश की जानकारी से समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करना एक बाध्यकारी प्रावधान है न की प्रभावित पक्षकारान् अथवा वंशावली की जानकारी होने के आधार पर अपीलार्थी को विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सकती है।

प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस न्यायालय को यह अवधारित करना है कि क्या अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने का प्रर्याप्त कारण है और क्या अपीलार्थी द्वारा इतने विलम्ब तक अपील प्रस्तुत नहीं करने का प्रर्याप्त हेतुक था। कानूनी बिन्दू पर निष्कर्ष यह निकलता है कि महज तकनीकी आधार पर किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए किन्तु अत्यन्त दीर्घ अवधि के विलम्ब के कारण भी पर्याप्त संतोषजनक होने चाहिए। ब्रिजेश कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2014 (3) सी.सी.सी. 470 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पद संख्या 9 से 13 में अनेक नजीरो के हवाले से निर्देश दिया गया है कि विलम्ब को यदि ठीक और संतोषप्रद तरीके से स्पष्ट नहीं किया तो केवल सहानूभूति के आधार पर देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर करनें योग्य नहीं है क्यो कि प्रथमतः यह गलत तथ्यों पर आधारित है। विपक्षी अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजात से न्यायालय के समक्ष यह भली भांति दर्शाया है कि आलौच्य नामांतरकरण की अपीलार्थीगण को शुरू से ही जानकारी रही है। हालांकि विलम्ब क्षमा करने के स्पष्टीकरण को उदारता से लेना चाहिए जब कि मौजूदा मामले में लगभग 34 वर्षो का विलम्ब सामने आया है जिसका स्पष्टीकरण भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। प्रत्यर्थी संख्या 19 द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत भी मौजूदा प्रकरण में लागू होते है। देरी का पर्याप्त कारण हो तथा सद्भाविक हो तो ही विलम्ब क्षमा किया जा सकता है परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवम् उपलब्ध कानूनी उद्धरणो का अध्ययन करने से विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 म्याद अधिनियम के बाहर होने से खारिज की जाती है।

दीप्ति शर्मा, (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

दीप्ति शर्मा, (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
जोधपुर